

अपीलांत:-
श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 75 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00 162

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>8/7/19</p> <p>24/7/19</p>	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रानुत का निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (D.S.O.) पाली से अपीलांत द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वांछित सूचना उपलब्ध कराते हेतु निर्देशित किया जाये।</p> <p>इस न्यायालय के जरिए पत्रांक 930-31 दि. 10-7-19 के द्वारा लिखा जाते था लोक सूचना अधिकारी (D.S.O.) पाली ने जवाब देकर कहा है कि वांछित सूचना अपीलांत को इसके न्यायालय के पत्रांक 279 दिनांक 10-6-2019 के द्वारा अपीलांत को उपलब्ध की जा चुकी है। एसी स्थिति में इस अपील के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। किटाजा अपील अपीलांत drop की जाती है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से शुका फैसल की जाकर नम्बर से कर है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>930-31 10.7.19</p>